न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या: 84 / 2020

तारीख रजू 03.09.2020

1. प्रभू पुत्र बजरंगा माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूँगर।
2. सदया पुत्र बजरंगा माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूँगर।
3. गोविन्द पुत्र बजरंगा माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूँगर।

......अपीलान्ट्स

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 18/8/22

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय दिनांक 27.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 942 रकवा 0.02, खसरा नं0 945 रकबा 0.03, किस्म गै0मु0 आबादी भूमि पर संवत 2074 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मकान बाडा बनाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर [illegible] आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि ख0नं0 942 रकबा 0.02 ख0नं0 945 [illegible] 3 वाके ग्राम मलारना डूंगर गै0मु0 आबादी का रकबा है जिसका अपी[illegible] के समय से आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि का उपयोग आबादी [illegible] होने के [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थीगण को बेदखल [illegible] देने का अधिकार न[illegible] यह कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. [illegible] टर

ख0नं0 942 व 945 अपीलांटान की खातेदारी की आ0ख0नं0 946 व 941 से लगती हुई है। अपीलांटान के बुजुर्गों ने 50 वर्ष पूर्व से ख0नं0 942 रकबा 2 बिस्वा ख0नं0 945 रकबा 3 बिस्वा पर अपने मकानात व बाडे बना रखे है यही कारण है कि उक्त भूमि की किस्म गै0मु0आबादी दर्ज है। अपीलान्ट ने गै0मु0आबादी भूमि का कभी भी गै0मु0आबादी के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु उपयोग नहीं किया है। गै0मु0 आबादी की भूमि ख0नं0 942 पर अपीलांटान के पिता बजरंगा के मकान व बाडा होने के कारण बजरंगा को मि0नं0 1997 दिनांक 31.03.73 को रेग्यूलाइज किया गया। यह कि ख0नं0 945 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0आबादी होने तथा खातेदारी की आ0ख0नं0 946, 941 की भूमि से लगी होने के कारण अपीलांटान के बुजुर्ग अपीलांटान ने मकान व रिहायशी कायम कर रखी थी इसी कारण ग्राम पंचायत मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 20.12.03 को अपीलांट प्रभू के नाम 16X32 फिट का नजराना जमा कर पटटा जारी किया जिसका रजिस्ट्रेशन 6.2.04 को सब रजिस्ट्रार मलारना डूंगर के यहां पंजीकृत हुआ अर्थात ख0नं0 942, 945 पर अपीलांटान का विधिक कब्जा है फिर भी योग्य अदालत मातहत ने अपीलांटान को बेदखल करने का आदेश दिया है जो खिलाफे कानून होने के कारण काबिले निरस्त है। यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटान का विधिक तामिल के इक तरफा जो आदेश दिया है वह काबिल निरस्त है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेरोकार सरकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि अपीलान्ट्स द्वारा ख0नं0 942 व 945 पर मकान बाडा बनाकर गै0मु0आबादी पर संवत् 2074 से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपना कर बेदखली का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता/ अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः तहसीलदार मलारना डूॅगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि ख0नं0 942 रकबा 0.02 ख0नं0 945 रकबा 0.03 वाके ग्राम मलारना डूंगर गै0मु0 आबादी का रकबा है। गै0मु0 आबादी की भूमि ख0नं0 942 पर अपीलांटान के पिता बजरंगा के मकान व बाडा होने के कारण बजरंगा को मि0नं0 1997 दिनांक 31.03.73 को रेग्यूलाइज किया गया किन्तु इस संबंध में रेग्यूलाइज का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वकील अपीलान्ट का कथन कि ख0नं0 945 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0आबादी होने तथा खातेदारी की आ0ख0नं0 946, 941 की भूमि से लगी होने के कारण अपीलांटान के बुजुर्ग अपीलांटान ने मकान व रिहायशी कायम कर रखी थी इसी कारण ग्राम पंचायत मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 20.12.03 को अपीलांट प्रभू के नाम 16X32 फिट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:33 IST
Reason: SelfAttested

अति... कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नजराना जमा कर पटटा जारी किया जिसका रजिस्ट्रेशन 6.2.04 को सब रजिस्ट्रार मलारना डूंगर के यहां पंजीकृत हुआ अर्थात ख0नं0 942, 945 पर अपीलांटान का विधिक कब्जा है फिर भी योग्य अदालत मातहत ने अपीलांटान को बेदखल करने का आदेश दिया है, के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2018 में उक्त पटटे के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये है। इस प्रकार संदेह का लाभ अपीलांटीयान को दिया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनः नये सिरे से जांच कर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18/8/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:33 IST
Reason: SelfAttested